मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 5/03/2024

क्रमांक File-1/1/1/0005/2023-Sec-1-10:: वन विभाग के आदेश एफ–03–22/2019/10–1 दिनांक 31.10.2019 द्वारा श्री एस.के. सचान वनक्षेत्रपाल को परिक्षेत्र अधिकारी बक्सावाहा सामान्य वन मण्डल छतरपुर से स्थानान्तरित कर परिक्षेत्र अधिकारी पन्ना टाईगर रिजर्व पन्ना पदस्थ किया गया। श्री एस.के. सचान वनक्षेत्रपाल द्वारा उक्त स्थानातरण आदेश दिनांक 31.10.2019 के विरुद्ध मान उच्च न्यायालय जबलपुर मे याचिका क्रमांक/डब्ल्यू.पी. 23373/2019 दायर की गई।

मान. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा उक्त याचिका की सुनवाई के उपरांत दिनांक 05.11.2019 को स्थानांतरण पर स्थगन दिया गया, जिसके पालन में भी सचान यथावत परिक्षेत्र अधिकारी बकस्वाहा के पद पर कार्यरत है। मान. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा याचिका में दिनांक 13.05.2023 को अंतिम निर्णय पारित कर स्थगन निरस्त किया गया तथा शासनादेश दिनांक 31.10.2019 को अपास्त कर प्रशासनिक आवश्यकता को दृष्टिगत श्री सचान के नये सिरे से स्थानान्तरण आदेश जारी करने हेतु शासन को Liberty दी गई है।

3/ वन विभाग के आदेश क्रमांक एफ–1/1/1/0005/2023/1/10 दिनांक 10.07.2023 द्वारा श्री लव प्रताप सिंह वनक्षेत्रपाल को विशेष कर्तव्य अधिकारी सामान्य वन मण्डल पन्ना से परिक्षेत्र अधिकारी बक्सवाहा सामान्य वन मण्डल छतरपुर पदस्थ करने के कारण श्री सचान द्वारा पुनः मान उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका क्रमांक/17095/23 दायर की गई याचिका पर दिनांक 20.07.2023 को मान. न्यायालय ने निर्णय पारित कर नवीन आदेश जारी होने तक श्री सचान को यथावत परिक्षेत्र अधिकारी बक्सवाहा में पदस्थ रखने के निर्देश दिए गए है।

4/ श्री सचान के यथावत परिक्षेत्र अधिकारी बकसवाहा के पद पर बने रहने के कारण श्री लवप्रताप सिंह ने परिक्षेत्र अधिकारी वक्सवाहा का प्रभार न मिलने के कारण माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक 30678/2023 दायर की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा निम्नलिखित निर्णय पारित किया गयाः–

Accordingly, this petition is disposed off with a direction to the respondent no.2 The Principal Chief Conservator (Head of Forest Force) Bhopal that if the petitioner files a fresh representation within a period of fifteen days from today then the same shall be decided by the respondent no.2 within a further period of thirty days by passing a speaking and reasoned order in accordance with law. It is made clear that this Court has not expressed any opinion on the merits of the case.

उक्त के अनुक्रम में श्री लवप्रताप सिंह, वन परिक्षेत्र अधिकारी वक्सवाहा ने दिनांक 22.12.2023 को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर श्री एस.के. सचान, वनक्षेत्रपाल को अन्यत्र पदस्थ करने एवं उन्हें (श्री लवप्रताप सिंह) को वन परिक्षेत्र वक्सवाहा में पदस्थ करने का लेख किया गया।

Order 2023 H.S.Ahirwar

उक्त वर्णित स्थिति में राज्य शासन एतदद्वारा श्री एस.के. सचान, वन परिक्षेत्र अधिकारी, वक्सवाहा, सामान्य वनमण्डल छतरपुर को स्थानांतरित कर वन परिक्षेत्र अधिकारी, बडोदा, सा. वनमण्डल श्योपुर में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

5/3

(अतुल कुमार मिश्रा)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ0 क्रमांकः File-1/1/1/0005/2023-Sec-1-10, भोपाल दिनांक 5 /03/2024

प्रतिलिपिः-

1. विशेष सहायक, मान. वनमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म0प्र0, भोपाल।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-।।), वन भवन, भोपाल।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना एवं प्रौद्योगिकी), वन भवन, भोपाल की ओर बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
5. संबंधित मुख्य वन संरक्षक/वनमण्लाधिकारी.......................................द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-।।), वन भवन, भोपाल।
6. स्टाफ ऑफीसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, वन विभाग।
7. संबंधित ....द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-।।), वनभवन, भोपाल।
8. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

5/3
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग